State	Crude Birth Rate 1971	1995
Rajasthan	39.7	33.3
Tamil Nadu	24.7	20.3
Uttar Pradesh	37.6	34.8
West Bengal	29.4	23.6
Arunachal Pradesh	35.5	23.8
Goa	18.5	14.7
Himachal Pradesh	30.2	25.2
Jammu & Kashmir	33.6	N.A.
Manipur	28.5	20.6
Meghalaya	39.1	29.0
Nagaland	25.3	N.A.
Sikkim	33.1	22.5
Tripura	27.3	18.9
A&N Islands	28.3	18.7
Chandigarh	24.5	19.5
D&N Haveli	36.9	29.7
Daman & Diu	28.8	21.8
Delhi	32.8	23.3
Lakshadweep	35.0	25.5
Pondicherry	22.1	20.1
ALL INDIA	32.9	28.3

जन्म-दर को नियंत्रित करने के उपाय

202. **श्री राधनजी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान देश के प्रत्येक राज्य के संबंध में जन्म-दर का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा प्रत्येक राज्य में वास्तव में जन्म-दर कितनी रही;

(ख) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन हेतु किये गये उपायों के वांछित परिणाम नहीं मिल रहे हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) जनसंख्या नियंत्रण के लिये भावी योजनाएं क्या हैं और इन योजनाओं/कार्यक्रमों को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा तथा उनके क्या परिणाम अपेक्षित हैं; और

(घ) यदि खण्ड (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) राज्य स्तर पर जन्म दर के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर सन् 2000 ईस्वी तक जन्म दर के संबंध में प्राप्त किया जाने वाला लक्ष्य प्रति हजार जनसंख्या पर 21.0 है। वर्ष 1995 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली से जन्म दर के राज्यवार उपलब्ध अनुमानों को दर्शाने वाला विवरण दिया गया है। **(नीचे देखिए)।**

(ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम से मार्च 1997 तक 21.2 करोड़ जन्मों को रोकने का अनुमान है। जन्म दर जो 1951 में 41.7 थी, 1995 में कम होकर 28.3 रह गई, शिशु मृत्यु दर जो 1951 में 146 थी, 1995 में कम होकर 74 रह गई, कुल प्रजननता दर जो 1951 में 5.97 थी, 1993 में 3.5 हो गई और मृत्यु दर जो 1951 में 22.8 थी। 1995 में कम होकर 9.0 रह गई। हालांकि जनसंख्या को स्थिर बनाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना जरूरी है तथापि कार्यक्रम के लिए उपलब्ध निवेशों के भीतर उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए है

(ग) और (घ) नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने हेतु कार्यनीति में अनचाहे गर्भाधानों से बचने के लिए गर्भ निरोधकों और स्थाई तरीकों के इस्तेमाल का प्रचार किया जाएगा। प्रजनक आयु वर्ग की महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आवश्यकताओं को सुदृढ़ किया जाएगा और उनका विस्तार किया जाएगा जो अन्ततोगत्वा परिवारों को सीमित रखने में प्रभावकारी होगा। पंचायती राज संस्थाओं को प्रमुख रूप से इसमें सहभागी बनाया जाएगा। जिन जिलों में कार्यनिष्पादन अच्छा नहीं है उन्हें सूचना, शिक्षा व संप्रेषण और स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण में पंचायती राज संस्थाओं के लिए विशेष रूप से अतिरिक्त निवेश प्रदान किया जाएगा। इन उपायों से जनसंख्या वृद्धि दर में कमी होने की संभावना है

विवरण

अनुमानित जन्म दरें, भारत राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-1995

प्रति हजार

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जन्म दर
भारत *	
	अ28.3
बड़े राज्य	
1. आंध्र प्रदेश	24.2
2. असम	29.3
3. बिहार	32.1
4. गुजरात	26.7
5. हरियाणा	29.9
6. कर्नाटक	24.1
7. केरल	18.0
8. मध्य प्रदेश	33.2
9. महाराष्ट्र	24.5
10. उड़ीसा	27.8
11. पंजाब	24.6
12. राजस्थान	33.3
13. तमिलनाडु	20.3
14. उत्तर प्रदेश	34.8
15. पश्चिम बंगाल	23.6
छोटे राज्य	
1. अरूणाचल प्रदेश	23.8
2. गोवा	14.7
3. जम्मू व कश्मीर	उपलब्ध नहीं
4. हिमाचल प्रदेश	25.2
5. मणिपुर	20.6
6. मेघालय	29.0
7. नागालैण्ड	उपलब्ध नहीं
8. सिक्किम	22.5
9. त्रिपुरा	18.9
संघ राज्य क्षेत्र	
1. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	18 7
2. चंडीगढ़	19.5
3. दादरा व नगर हवेली	29.7
4. दमण व दीव	21.8
5. दिल्ली	23.3
6. लक्षद्वीप	25.5
7. पांडिचेरी	20.1

* जम्मू व कश्मीर तथा मिजोरम शामिल नहीं है।

Recognised and unrecognised Medical Colleges

203. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of Medical Colleges in the country, with their names and addresses, recognised by the Medical Council of India;

(b) the number of Medical Colleges, with their names and addresses, which have already been started in the country but are not recognised by the Madical Council of India; and

(c) the number of Medical Colleges, with their names and addresses, which have applied for recognition to Medical Council of India but have not yet started functioning?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): (a) The number of medical colleges with their names and addresses recognised by the Medical Council of India are given in the statement at Annexure *[See Appendex 181, Annexure No. 6]*

(b) The number of medical colleges with their names and addresses which have already started functioning but not recognised by the Medical Council of India are given in the Statement at Statement-I *(See* below).

(c) The names of Trusts/Societies/State Governments who have applied for per-